(2)

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP83552465826825W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP83552465826825W
Certificate Issued Date	:	13-Sep-2024 01:05 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14212404/ GUNNAUR/ UP-SMB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14212404631910504650090W
Purchased by	:	JITENDRA YADAV SO VIJAY SINGH YADAV
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	VIJAY EDUCATIONAL TRUST BABRALA TEH GUNNAUR DISTT SAMBHAL
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JITENDRA YADAV SO VIJAY SINGH YADAV
Second Party	:	VANDANA KUMARI WO JITENDRA YADAV
Stamp Duty Paid By	:	JITENDRA YADAV SO VIJAY SINGH YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

Please write or type below this line

Vandna

Kumar

प्रबन्धक

एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल

इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal

S.R.Convent School

Islamnagar (Badaun)

0011688010

TRUST DEED (न्यास विलेख)

ओउम– न्यास की घोषणा (Declaration of Trust)

(अनुसूचि 1ए 64 का The Indian Stamp Act. 1899)

ऑफिस का नाम – सब रजिस्टार कार्यालय तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल।
लेख प्रस्तुतिकरण दिनांक – 13.09.2024
न्यास ट्रस्ट का नाम – "विजय ऐजूकेशनल ट्रस्ट" (Vijay Educational Trust)
ट्रस्टीगणों के नाम व पद –
1–श्री जितेन्द्र यादव पुत्र श्री विजय सिंह यादव निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल। (अध्यक्ष/चैयरमेन)
2– श्रीमती डॉ0 वन्दना कुमारी पत्नी श्री जितेन्द्र यादव निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल।
(प्रबन्धक/सचिव)
3– श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री विजय सिंह निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल। (कोषाध्यक्ष)
4– श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री विजय सिंह निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल। (सदस्य)
5– श्रीमती बेबी यादव पत्नी श्री योगेन्द्र कुमार निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल। (सदस्य)
कार्यालय का पता – बबराला परगना असदपुर तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल।
ट्रस्ट की सम्पत्ति – 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)
ई–स्टाम्प शुल्क देय – 800/– रूपये
ई–स्टाम्प नम्बर – IN-UP83552465826825W दिनाँक– 13/09/2024।

मैं कि श्री जितेन्द्र यादव पुत्र श्री विजय सिंह यादव निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल का हूँ। जिसे संस्थापक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष/चैयरमैन कहा जायेगा। संस्थापक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष/चैयरमैन की इच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में व चिकित्साके क्षेत्र में सामाजिक ट्रस्ट बनाने, मानव सेवा और समाज सेवा करने की है। जिसके लिये संस्थापक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष/चैयरमैन "विजय ऐजूकेशनल ट्रस्ट" (Vijay Educational Trust) स्थापित कर रहे है। वादित हो कि संस्थापक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष धनराशि अंकन 10,000 /– रू0 के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा संस्थापक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष की इच्छा व समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में, मिडिया के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सामाजिक ट्रस्ट बनाने, मानव सेवा व समाज सेदा आदि व अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के उत्थान व उन्नति के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करने का है और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थापक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष ने उक्त राशि अंकन – 10,000 रू0 को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी हैं कि न्यासी उक्त राशि को आगे दी गई शक्तियों को एवं प्राविधानों के

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

अर्न्तगत वतौर न्यासीगण रखेगें। उक्त संस्थापक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार है और इस विलेख का निष्पादन कर रहा है। संस्थापक/व्यवस्थापक 'अध्यक्ष उपरोक्त इकरार करते है और घो करते हैं कि :-

1- यह कि ट्रस्ट का नाम **"विजय ऐजूकेशनल ट्रस्ट"** (Vijay Educational Trust) होगा।

2- यह कि ट्रस्ट का **मुख्य कार्यालय बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल** में होगा। परन्तु ट्रस्ट के अध्यक्ष/सैक्रेट्री को अधिकार होगा कि उक्त ट्रस्ट कार्यालय/शाखा सम्पूर्ण भारत में कहीं पर भी स्थानान्तरित/खोल सकेगें।

3- यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन – **10,000 रू0** को आगे ट्रस्टफण्ड कहा गया है। तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति, सावधि, जमा अथवा चालू राशि जो ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेगें तथा ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गई शक्तियों एवं कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेगें।

4- यह कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पुँजी तथा चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा के समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में व मीडिया के क्षेत्र में व चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने व सामाजिक ट्रस्ट बनाने व मानव सेवा सामाजिक उत्थान के कार्यों व मीडिया से सम्बन्धित कार्यों, प्रेस आदि की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेगें न्यासीगण एवं (प्रवन्ध) को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में प्रर्वतन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5- यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6- यह कि उक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त उन पर कोई प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड अथवा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्र्वांगीण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

7- **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र**– सम्पूर्ण भारत होगा तथा **ट्रस्ट पर लागू होने वाले अधिनियम**– ट्रस्ट पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 एवं आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान लागू होंगे। किन्तु विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्रावधान/अधिनियम जो कि ट्रस्ट पर लागू होते हो, लागू होगें।

ट्रस्ट के उददेश्य – ट्रस्ट के निम्नलिखित उदेश्य होंगे।

1. जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक व शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों में देश प्रेम एवं वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना।
2. ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्कालय एवं वाचनालय की व्यवरथा करना एवं ज्ञान, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान की जानकारी देना एवं पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
3. प्रतियोगात्मक शिक्षा तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षण, तकनीकी शिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सम्बन्धी लोगों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण करना।
4. कम्प्यूटर शिक्षा, इन्टरनेट शिक्षा, आटो मोबाइल शिक्षा, मोबाइल शिक्षा, मिक्सिंग लैब, टाइप राईटिंग, शॉट हैण्ड, रेफ्रिजेशन व एयर कन्डीशन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बेबसाइट डिजाईनिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिशियन व आटो मैकेनिक, एविएशन आदि की शिक्षा व्यवस्था करना व फैशन डिजाईनिंग व इंटिरियर डिजाईनिंग, आधुनिक प्रचार माध्यमों की आदि की रोजगारपरक प्रशिक्षण देना, देश भर में कुम्हारी कला के विकास हेतु सभी प्रकार के प्रयास करना

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

5. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सेमीनार, कवि सम्मेलन, खेल–कूद प्रतियोगिता, योग कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, सामाजिक जागरूकता, प्रदर्शिनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों आदि का आयोजन करना।
6. महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, शिल्प कला, ललित कला, संगीत गायन, वादन, नृत्य अभिनय, सैलून, ब्युटिशियन, ब्युटिपार्लर, महेन्दी कोर्स, कवि गोष्ठियों तथा संस्कृति के विकास और फैशन डिजाईनिंग, फैशन शॉ, चिकन, जरी, पापड़, आचार, मुरब्बा, डाल मेकिंग, फ्लोवर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिग, स्क्रीन प्रिटिंग, आफसैट प्रिटिंग, पेन्टिंग, फूड मेकिंग, वाल पेन्टिंग, आदि तथा खादी एवं हस्त शिल्पकला, मिटटी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वालम्बन की भावना जागृत करना।
7. अनुसूचित जाति, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलित, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग तथा ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक शिक्षण एवं प्रशिक्षण अथवा उनके उत्थान एवं कल्याण हेतु कार्य करना एवं दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोहों को प्रोत्साहन देना।
8. पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीका करण, वृक्षा रोपण, सामाजिक वानिकी, कुष्ठ उन्मोलन, दहेज उन्मोलन, हरियाली कार्यक्रम, जड़ी–बूटी उगाना, विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियों का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं आयुर्वेद दवाओं का निर्माण कर लोगों को परामर्श देना, कृषि विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण तथा प्रवर्धन एवं इससे आधारित सर्वे, संप्रेक्षण, सेमीनार और गोष्ठ का आयोजन करना। प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण सुधार नियंत्रण हेतु प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना करना तथा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से अनुमति लेकर संचालन करना, सड़क सुरक्षा हेतु मोटर ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना करना, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर संचालन करना, ऊसर–बंजर भूमि सुधार, मृदा परीक्षण, जैविक तथा हरबल खेती, बागबानी विकास, वैकल्पिक उर्जा विकास, सौर उर्जा एवं पशु–पक्षी, जीव–जन्तु सरंक्षण, गौ सरंक्षण, गौशाला, गौ संवर्धन, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण भूमि एवं जल प्रवंधन एवं जल संचयन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध विकास, शाकाहारी आहार आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
9. जनहितार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायमशाला, योगशाला, पौशाला, विधवा आश्रम, बृद्धा आश्रम, शिशुपालन गृह, बालबाड़ी, आँगनबाड़ी, धर्मशाला आदि की स्थापना करना।
10. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं जल व भूमि प्रबन्धन एवं कूड़ा प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
11. प्राकृतिक एवं देवीय आपदाओं से पीड़ित जनता को सहायता प्रदान करना।
12. देश विदेश एवं प्रदेश की समान उददेश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क कर उद्देश्यों की पूर्ति करना, अनुदान प्रदान करना एवं आर्थिक सहयोग देना।
13. सभी धार्मिक कार्य जैसे–महाकुम्भ मेले के लिये अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्राप्त करना व उन आयोजनों का प्रबन्ध करना और महाकुम्भ मेले व अन्य धार्मिक कार्यों में खर्च करना।
14. ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति एवं क्रिया कलापों का सुचारू रूप से चलाने के लिये समाज एवं सरकारी एजेन्सी एवं वित्तिय एजेन्सियों से वैधानिक ढंग से धन प्राप्त करना।
15. प्राकृतिक स्रोत जैसे–झील, नदी, बाँध, तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य करना एवं जल संकट से बचने हेतु जल स्तर को ऊँचा उठाने के लिये अन्वेषण, शोध एवं योगात्मक क्रियान्वित करना।
16. बाढ़ नियंत्रण हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं क्रियान्वयन करना और कृषि के क्षेत्र में आपदा से होने वाली क्षति का आंकलन एवं उसकी पूर्ति हेतु कार्य योजना तैयार करना एवं करवाना।
17. लिंग, जाति या धर्म के मामले में भेद भाव को दूर करने का प्रयास करना, लोगों में मानवीय गुणों का विकसित करने की स्वंतत्रता को बढ़ावा देना, अन्याय से छुटकारा और कानूनी सुविधा प्रदान कराना एवं उसकी दशा में कार्य करना।

Vandna

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

18. बाधिरों एवं विकलांगों को संगठित कर उन पर हो रहे अनदेखी को ध्यान में रखकर उनके उत्थान के लिये कारगर कदम उठाना।
19. बच्चों को अच्छे शिक्षण प्रणाली एवं उस पर आय दिन हो जुल्म के लिये आवाज उठाना एवं उनके लिये कारगर कदम उठाना, मजदूरी को खत्म करने का प्रयास करना।
20. ट्रस्ट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के पक्ष में अथवा ट्रस्ट द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण संस्थापक/अध्यक्ष द्वारा करना।
21. शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के लिये व केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करना तथा दानसील व्यक्तियों की सहायता लेना।
22. गरीबों को मौसम के अनुसार वस्त्र, भोजन, दवायें, पुस्तक आदि वितरण करना।
23. सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा जनमानस को पारस्परिक कला से परिचय कराना।
24. ट्रस्ट को विधायकों व सांसदों व भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों आदि की निधियों के सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।
25. ट्रस्ट को सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों के 2/3 संख्या मांग पर किसी समय आहूत करने का अधिकार होगा।
26. यदि कोई भी समिति (ट्रस्ट, संस्था, कम्पनी) ट्रस्ट में विलय होना चाहे तो ट्रस्ट को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस संस्था को अपने में विलय कर ले।
27. ट्रस्ट की सम्पत्ति को प्रबन्धक द्वारा क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को लेने व देने का पूर्ण अधिकार होगा।
28. पंजीकरण ट्रस्ट का नवीनीकरण नहीं होगा, क्यांकि ट्रस्ट का नवीनीकरण नहीं होता है।
29. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा एक सदस्य होगा, एवं विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
30. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुमन्य, वेतन व अन्य भत्ते मिलेंगे तथा उनकी सेवा शर्तें भी बनाई जायेंगी।
31. ट्रस्ट द्वारा देश के किसी भी विभाग, संगठन, कम्पनी में निर्माण कार्य करना व सामान खरीद कर व उत्पादन कर सप्लाई करने का अधिकार होगा, उससे प्राप्त आय को केवल ट्रस्ट द्वारा समाज हित में संचालित योजना पर ही खर्च कर सकेंगे।
32. ट्रस्ट द्वारा अन्य विभागों में जनशक्ति आपूर्ति करने का अधिकार होगा।
33. बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ योजना को प्रभावी बनाने के लिये बेटियों के शादी में सहयोग करना।
34. ट्रस्ट को शिक्षण संस्थायें व विश्वविद्यालय एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु संस्थान शोध केन्द्र, मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मेसी संस्थायें, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, विधि महाविद्यालय, महाविद्यालय, प्ले ग्रुप से लेकर इण्टर कालेज, आई0टी0आई0, वोर्डिंग स्कूल जैसी संस्थान को भारत सरकार/राज्य सरकारों के नियमानुसार कंही भी स्थापित करने का अधिकार होगा।
35. ट्रस्ट को हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी, क्लीनिक, डायोग्नोटिक सेन्टर, रिसर्च सेन्टर आदि जो न्यास निर्णय ले, को स्थापित करने व संचालित करने का अधिकार होगा।
36. ट्रस्ट द्वारा तिलक/दहेज जैसे सामाजिक समस्याओं को सामाजिक स्तर पर निबटवाने का वातावरण तैयार करना गरीब महिला एवं प्रताड़ित महिलाओं को सुरक्षा एवं न्याय दिलवाना तथा वैदिक शिक्षा के केन्द्र स्थापित करना।

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

37. अन्य कोई कार्य जो समाज व राष्ट्र हित में हो।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु

क– ट्रस्ट निधि में प्रारंभिक निधि से होने वाली आय से तथा साथ ही साथ समय समय पर प्राप्त होने वाली दान राशि, अन्य अंशदान, चन्दे, शुल्क, किराये आदि से बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

ख– ट्रस्ट निधि का प्रयोग ट्रस्ट के उद्देश्य के अतिरिक्त कही और नहीं किया जा सकेगा।

ग– ट्रस्टी हमेशा ट्रस्ट के आय व्यय के समुचित लेखे (हिसाब–किताब) बनाकर ट्रस्ट के कार्यालय में रखेंगें।

घ– किसी भूमि, भवन तथा चल–अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना, व्यवस्थित रखना, हस्तांतरण अथवा पटटे या किराये पर लेना या अनुज्ञा द्वारा साधनों से प्राप्त करना।

ड़– ट्रस्ट की भूमि पर भवनों का निर्माण व पहले से बने भवनों में आवश्यक परिवर्तन, संबर्द्धन एवं उन्हें बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय आदि आवश्यक प्रायोगिक सुविधाओं से सुसज्जित करना।

च– ट्रस्ट के हित में भूमि तथा चल–अचल सम्पत्ति को क्रय/विक्रय करना, हस्तान्तरण करना, विनिमय करना, बंधक रखना, पटटे अथवा किराये पर उठाना या अन्य साधनों से नियमानुसार हस्तान्तरण करना, किसी भी स्थिति में यह हस्तान्तरण संस्था की प्रबन्धकार्यकारिणी के सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा।

छ– ट्रस्ट को किसी बैंक से 20 करोड़ रूपये तक लोन व बैंक गारन्टी लेने का अधिकार होगा एवं लेने पश्चात बैंक की अदायगी समय से नहीं करने पर बैंक को अधिकार होगा ट्रस्ट की सम्पत्ति नीलाम करके बैंक की बकाया राशि बसूल कर लेने पर सभी ट्रस्टिगणों को आपत्ति नहीं होगी।

ज– ट्रस्ट के धन का प्रयोग आयकर विधान की धारा 11(5) व अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

झ– उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये धन संग्रह करना एवं व्यय करना जायदाद खरीदना और बेचना, निर्माण करना, रख –रखाव करना, बैंक व्यवहार करना एवं अन्य जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें करना।

ञ– उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी चल–अचल सम्पत्ति का विक्रय प्रबन्ध, हस्तान्तरण, विनिमय, बन्धक, पटटे एवं गिरवी से उपयोग में लाना।

ट– ट्रस्ट के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये देश–विदेश से दान क्रय–विक्रय, विनिमय, पटटा किराये पर अन्य किसी प्रकार से भवन तथा कोई अन्य चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

2. **निवेश**– सभी धन जिसकी कोई तात्कालिक जरूरत न हो ऐसे धन को ट्रस्टी बोर्ड की सहमति से बैंक, एफ0डी0आर0 अथवा अन्य में निवेश करना। निवेश, आय, व्यय आदि केवल ट्रस्ट के नाम से ही किये जायेंगे।

3. **ट्रस्ट का प्रबंधन**– ट्रस्ट का प्रबंधन ट्रस्टी बोर्ड के द्वारा किया जायेगा –

1. ट्रस्टी बोर्ड – ट्रस्टी बोर्ड में ट्रस्टियों की संख्या किसी भी दशा में 2 से कम नहीं हो सकती है।
2. ट्रस्ट की स्थापना के समय के ट्रस्टियों को फाउन्डर ट्रस्टी कहा जायेगा तथा फाउन्डर ट्रस्टियों के द्वारा ट्रस्टी बोर्ड में और भी ट्रस्टी शामिल किये जा सकते हैं।

ट्रस्ट के चैयरमैन/अध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य –

श्री जितेन्द्र यादव पुत्र श्री विजय सिंह यादव निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल ट्रस्ट के अध्यक्ष होगें। अध्यक्ष/चैयरमैन के निम्न अधिकार व कर्त्तव्य होगें।

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठको के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।
3. पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
4. ट्रस्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति या निष्कासन का अधिकार का होगा।

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

5. मौजूदा ट्रस्ट विलेख में कोई परिवर्तन करने या कोई शर्त कम करने या नई शर्त बढ़ाने का पूरा अधिकार होगा। वाहन एवं अन्य मशीनरी आदि को खरीदने बेचने का अधिकार होगा।
6. संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना। ट्रस्ट के बैंक खाते का संचालन का अधिकार अध्यक्ष/चैयरमैन का होगा।
7. भूमि खरीदने/बेचने एवं लीज पर लेने देने का अधिकार अध्यक्ष/चैयरमैन का होगा। संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा ट्रस्ट बोर्ड द्वारा की जायेगी।
8. संस्था हेतु दान अनुदान प्राप्त करना।
9. नये ट्रस्टियों को शामिल करने या किसी ट्रस्टी के निष्कासन का अन्तिम निर्णय अध्यक्ष/चैयरमैन का होगा।

4. <u>ट्रस्टी बोर्ड के अधिकार एवं कर्त्तव्य–</u>

1. ट्रस्ट में जमीन खरीदने व बेचनेएवं लीज पर लेने अथवा देने का अधिकार अध्यक्ष/चैयरमैन को होगा।
2. ट्रस्ट में कभी भी कुछ भी बदलाव किये जा सकते हैं। बदलाव करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/चैयरमैन को होगा।
3. ट्रस्ट के नियमों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/चैयरमैन को होगा।
4. ट्रस्टियों को ट्रस्ट के कार्यों/गतिविधियों को संचालित करने हेतु ट्रस्ट द्वारा समय–समय पर बनाये एवं स्वीकार किये गये नियम एवं नियमन आदि का पालन कठोरता से करना होगा।
5. किसी व्यक्ति/किन्ही व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों/निकाय या ट्रस्ट/समिति/संस्थानों से सशर्त या बिना शर्त कोई दान, अंशदान, अनुदान या चन्दा (जो नगद या वस्तु रूप में हो सकता है) स्वीकार करना।
6. ट्रस्ट की सम्पूर्ण आय या उसके किसी भाग को या ट्रस्ट निधि या उसके संचायन को ट्रस्ट के किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों हेतु, जैसा कि ट्रस्टी अपने स्वविवेक से उचित समझे, प्रयोग करना।
7. किसी समय विशेष पर ट्रस्ट सम्पत्ति और/अथवा किसी निवेश को रूपान्तरित करना या उसमें लेन देन करना।
8. ट्रस्ट निधि को अचल सम्पत्ति अथवा शेयरों (अंश पत्रों), स्टॉक अथवा डिबेंचरो (ऋण पत्रों) अथवा किसी वित्तीय प्रतिभूति या विनयोग में निवेश करना या किसी कम्पनी/बैंक/फर्म या अन्य किसी व्यक्ति को ऋण देना या पास जमा (निक्षेप) के रूप में रखना एवं ट्रस्टियों द्वारा स्वविवेक से ऐसे निवेशों में परिवर्तन या बदलाव या स्थानान्तरण करना, जो कि ट्रस्ट के अधिकतम हित में हो।
9. धन उधार लेना अथवा भुगतान को सुरक्षित करना तथा साथ ही पर्याप्त प्रतिभूती (जमानत) मिलने पर उधार देना।
10. ट्रस्ट निधि के रूप में समाहित किसी अचल सम्पत्ति को किराये या भाड़े पर उठाना, हस्तान्तरित करना।
11. ट्रस्ट एवं ट्रस्टियों अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों के नाम में बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना। ऐसे खाते/खातों का परिचालन करना एवं बैंको को निर्देश देना तथा एक या एक से अधिक ट्रस्टियों द्वारा अथवा ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त अभिकर्ता द्वारा ऐसे खाता/खाते को खोलने और परिचालित करने हेतु प्रावधान करना।
12. ट्रस्ट निधि से सम्बन्धित सभी वाद एवं दावों एवं मांगो एवं कार्यवाहियों का समायोजन एवं निपटान एवं सुलह अथवा पंचनिर्णय हेतु सौंपना।
13. विधिक अधिवक्ताओं/प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना तथा इस विलेख के अधीन ऐसे वकीलों/प्रतिनिधियों को समय समय पर एक या एक से अधिक अधिकार प्रदान करना तथा ऐसे वकीलों या प्रतिनिधियों को हटाना तथा उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति करना।

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

14. ट्रस्टियों द्वारा विनिर्दिष्ठ नियमों एवं नियमनों तथा रीति के अधीन ट्रस्ट के प्रशासन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति (इसमें सभी ट्रस्टी एवं समितियों अथवा प्रशासक अथवा प्रबन्ध ट्रस्टी या अन्यथा भी शामिल हैं) की नियुक्ति करना अथवा नियुक्ति के प्रावधान बनाना।
15. ट्रस्टियों द्वारा विनिर्दिष्ठ नियमों एवं नियमनों तथा रीति के अधीन इस ट्रस्ट विलेख के प्रावधानों की शर्तों के अनुरूप किसी कोष अथवा निवेश की धारण करने के लिये पृथक ट्रस्टियों की नियुक्ति अथवा उनकी नियुक्ति का प्रावधान करना।
16. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये योजनाओं, नियमों एवं नियमनों को बनाना उनमें समय–समय पर परिवर्तन एवं संशोधन करना।
17. ट्रस्ट के कार्यों के प्रबंधन एवं/अथवा उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी संस्थान/संगठन का संचालन करने अथवा अन्यथा रूप में उसके उद्देश्यों को प्रभावी बनाने हेतु योजनाओं नियमों एवं नियमनों को बनाना, उसमें समय–समय पर परिवर्तन एवं संशोधन करना।
18. आम जनता के लाभ हेतु किसी चैरिटेबिल संस्थान को प्रारम्भ करना, बन्द करना एवं पुनःप्रारम्भ करना तथा उनके द्वारा दी जाने वाली किसी दान अथवा चंदे की राशि पर शर्तें लगाना।
19. ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिये ट्रस्ट की सम्पूर्ण आय अथवा उसके किसी अंश को अथवा ट्रस्ट निधि के संचय (कॉर्पस) अथवा उसके किसी अंश को अलग करके रखना एवं/अथवा आंवटित करना।
20. ट्रस्टियों द्वारा स्वविवेक से उचित मानी गयी शर्तों एवं निबन्धनों (विशेष रूप से इस ट्रस्ट के उद्देश्यों और स्वभाव से अनुरूपता को ध्यान में रखते हुये) के अधीन अपने ट्रस्ट को समान उद्देश्य वाली किसी अन्य ट्रस्ट/ट्रस्टों से जोड़ना, समन्वित करना अथवा उसमें इसको एकीकृत करना।
21. विभिन्न चैरिटेबिल संस्थानों, समितियों, संगठनों अथवा ट्रस्टों, जो इस विलेख में दर्शाये गये समान उद्देश्यों के लिये पहले से स्थापित किये जा चुके है अथवा आगे कभी स्थापित किये जायेंगे, को ट्रस्ट की आय से अथवा ट्रस्ट निधि के संचय से दान रूप में सहायता प्रदान करना ताकि ऐसे संस्थान/समितियां संगठन अथवा ट्रस्ट चैरिटेबिल उद्देश्यों को प्रारंम्भ कर सकें, जारी कर सकें अथवा प्राप्त कर सकें।
22. ट्रस्टी बोर्ड के द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न संस्थानों की स्थापना करना तथा ऐसे संस्थानों के संचालन हेतु उपसमितियां बनाना तथा नियम विनियम बनाना एवं उन्हें संशोधित करना, निरस्त करना।
23. सभी खातों का निपटारा करना एवं सुलह करना, हिसाब चुकता करना, त्याग देना अथवा किसी वाद या कार्यवाही या विवाद, दावे, मांग को पंचनिर्णय के लिये सौंपना जो कि इस सम्बन्ध में उचित माना गया हो, (उससे हो सकने वाले नुकसान के प्रति जिम्मेदार हुये बिना)
24. इस विलेख में निर्दिष्ठ सभी अथवा किसी एक उद्देश्य के लिये ट्रस्ट निधि में समाहित किसी सम्पत्ति (जिसमें जमीन भवन इत्यादि शामिल हैं) को प्रतिभूति (जमानत) के रूप में रखकर बैंक/समिति/सरकार/संस्थान व अन्यो से ऋण लेना तथा ट्रस्टियों के लिये यह विधिमान्य होगा कि वे ब्याज पर अथवा अन्यथा स्वविवेक से उचित शर्तों पर ऐसे ऋण प्राप्त कर सकें व ब्याज सहित उक्त ऋण को वापिस कर सकें।
25. सरकार, सार्वजनिक निकाय, नगर निगम/नगर पालिका एवं अन्य स्थानीय निकाय, निगम, कम्पनी, अथवा व्यक्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्रप्ति को ध्यान में रखते हुये धन, सहायता, उपहार, चंदा तथा अन्य सहयोग प्रदान करने के लिये आवेदन करना व ऋण प्राप्त करना।
26. शासकीय विभागों, सार्वजनिक एवं अन्य निकायों, निगमों, कम्पनियों अथवा व्यक्तियों के साथ ट्रस्ट के उद्देश्यों से सम्बन्ध की योजनाओं, विषयों अथवा कार्यों के बारे में विचार विमर्श करना तथा उनके द्वारा आरोपित उचित शर्तों की पुष्टि करना जिस पर उनके अनुदान अथवा अन्य भुगतान प्राप्त किये जा सकते हो।

Vandna

Ykumar

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

27. समान उद्देश्यों वाले अन्य चैरिटेबिल ट्रस्ट, समितियों, संघ, संगठन अथवा संस्थान का अधिग्रहण करना या उनके साथ एकीकरण करना।
28. ट्रस्ट अथवा समान उद्देश्यों वाले अन्य ट्रस्ट वाले या उसकी शाखाओं की किसी शाखा की स्थापना, प्रोत्साहन, प्रबंध अथवा अनुरक्षण करना अथवा उसकी स्थापना करना, प्रोत्साहन, प्रबंध अथवा अनुरक्षण के लिये सहायता प्रदान करना तथा इस ट्रस्ट को अन्य किसी ट्रस्ट के साथ सम्बद्ध करना या एकीकरण करना तथा दूसरे ट्रस्ट व संस्था आदि से अनुदान प्राप्त करना।
29. उचित शर्तों और निबन्धनों के अधीन इस ट्रस्ट के उद्देश्यों से पूर्ण/आंशिक समानता रखने वाले किसी विद्यमान संस्थान या संस्थानों का अधीनीकरण, अधिग्रहण, प्रबंध, नियन्त्रण करना अथवा उसे सहायता देना।
30. एक या एक से अधिक ट्रस्टों, समितियों, संस्थानों, संघों, संगठनों (जिनके साथ एकीकरण के लिये ट्रस्ट को प्रधिकार प्राप्त है) को क्रय करना अथवा अन्यथा उनका अधिग्रहण करना एवं उनकी सम्पूर्ण या आंशिक सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, देयतायें एवं अन्य समान अपने हाथ में ले लेना।
31. इस ट्रस्ट की सम्पूर्ण या आंशिक सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, देयतायें एवं अन्य समान एक या एक से अधिक ट्रस्टों समितियों, संस्थानों, संघों, संगठनों (जिनके साथ एकीकरण के लिये ट्रस्ट को प्रधिकार प्राप्त है) को अंतरित करना।
32. इस ट्रस्ट के अध्यक्ष/चैयरमैन के न होने पर प्रबन्धक को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अध्यक्ष के जायज व कानूनी वारिसों में से किसी को अध्यक्ष चुन सकेगा कोई वारिसों के न होने की स्थिति में ट्रस्टीगणों के वारिसों में से किसी भी व्यक्ति को नया अध्यक्ष चुन सकें। तथा ट्रस्टियों को घटाने बढाने के समस्त अधिकार प्राप्त होगें।

5. <u>ट्रस्ट के लिए धन का इंतजाम–</u>

ट्रस्ट के प्रत्येक ट्रस्टी को ट्रस्टी बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि वार्षिक रूप से ट्रस्ट को देनी होगी तथा भविष्य में यदि अन्य ट्रस्टी नियुक्त किये जाते हैं, उनके लिये भी ट्रस्टी बोर्ड एक निशचित धन राशि वार्षिक रूप से देने हेतु निर्धारित करेगा। ट्रस्ट के लिए धन का इंतजाम दान, चंदा व ट्रस्ट की सम्पत्ति के इस्तेमाल से होने वाली आय से किया जायेगा। ट्रस्टियों को धन का इंतजाम करने के लिए ट्रस्ट की जायदाद को बैंक आदि में रहन/बन्धक रखकर कर्ज लेने का अधिकार होगा लेकिन प्रत्येक स्थिति में कर्ज की रकम ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए खर्च करना जरूरी होगा।

6. <u>ट्रस्ट के लिये आयकर अधिनियम, 1961 व 80 सी विशेष प्रावधान –</u>

यह विशेष रूप से घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित नियम व शर्तें इस ट्रस्ट विलेख का मुख्य भाग है–
यह कि ट्रस्ट को होने वाले लाभ और ट्रस्ट के फण्ड का उपयोग केवल उन्ही सीमाओं एवं प्रतिबन्धों के उपयोग के अर्न्तगत किया जायेगा जो आयकर अधिनियम, 1961 या वैल्थ ट्रैक्स अधिनियम, 1957 या कोई अन्य अधिनियम, जिस पर आयकर अधिनियम, के प्रावधान लागू होते हो किया जायेगा।
यदि उक्त आयकर अधिनियम, 1961 या वैल्थ ट्रैक्स अधिनियम, 1957 में कोई संशोधन होता है या भविष्य में कोई अन्य अधिनियम आता है तो उसके नियम व शर्तें ट्रस्ट पर लागू होंगे।
यह कि इस ट्रस्ट पर आयकर अधिनियम, की धारा 80 जी या अन्य कोई समान नियम जो आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तगर्त आते हैं लागू होंगे।

7. <u>ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य–</u>

1. ट्रस्टी ट्रस्ट के इंतजाम व उसके चलाने में अध्यक्ष/चैयरमैन की मदद करेंगे।
3. कोई भी ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यो व नियमों के विरूद्ध कोई काम नहीं करेगा।
4. ट्रस्टियों को ट्रस्ट की मीटिंग में शिरकत करना जरूरी होगा।

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

आवेदन सं०: 202400778014600

न्यास पत्र

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 41 | वर्ष: 2024

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री जितेन्द्र यादव ,
पुत्र श्री विजय सिंह यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: नि0 बबराला पर0 असदपुर तह0 गुन्नौर जिला संभल

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 13/09/2024 एवं 03:16:24 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नारेन्द्र सिंह .
उप निबंधक गुन्नौर
सम्भल
13/09/2024

राजवीर सिंह .
निबंधक लिपिक
13/09/2024

प्रिंट करें

8. ट्रस्ट की बैठक –

ट्रस्ट की बैठक हर तिमाही ट्रस्ट के कार्यालय पर या अन्य स्थान पर जैसे ट्रस्टीज निश्चित करें, की जायेगी जिसकी तारीख की सूचना सभी ट्रस्टियों को एक सप्ताह पहले दे दी जायेगी। ट्रस्ट के द्वारा विशेष बैठक का आयोजन कभी भी एक दिन पहले सूचना भेजकर भी की जा सकती है।

9. ट्रस्ट का बैंक खाता–

ट्रस्ट का खाता किसी राष्ट्रकृत बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, प्राईवेट बैंक या किसी भी मान्यता प्राप्त बैक/बैंकों में ट्रस्ट के नाम से खुलवाया जायेगा इस खाते का संचालन **अध्यक्ष/चैयरमैन** के द्वारा अथवा इनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा किया जायेगा।

10. ट्रस्ट की सम्पत्ति की बिक्री–

कोई सम्पत्ति जो ट्रस्ट द्वारा खरीदी जाये व सम्पत्ति यदि भविष्य में ट्रस्ट के इस्तेमाल की न रहे या ट्रस्ट के इस्तेमाल के लिए छोटी पड़ जाये या ट्रस्ट के द्वारा किये जा रहे काम के लिए अन्य किसी जगह ट्रस्ट के कार्यालय या इंस्टीट्यूशन को बदला जाना जरूरी है तो ट्रस्ट के अध्यक्ष को फाउन्डर ट्रस्टियों की सहमति से ट्रस्ट की जायदाद को बेचने का हक होगा लेकिन जायदाद बेचकर हासिल पैसा हर सूरते हाल में ट्रस्ट के लिए जायदाद खरीदने या ट्रस्ट के किसी अन्य मकसद में खर्च करना होगा। अपने इस्तेमाल में लाने का अध्यक्ष या ट्रस्टियों को कोई अधिकार न होगा।

11. खाता व अंकेक्षण –

ट्रस्ट का हिसाब किताब के लिये उचित खाते बही रखे जायेंगें जिनका वार्षिक अंकेक्षण (ऑडिट) कोषाध्यक्ष द्वारा अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट के द्वारा किया जायेगा।

12. रिक्तियां एवं रिक्तियों की पूर्ति –

फाउन्डर ट्रस्टियों के रिक्त स्थान की पूर्ति उनके परिवारजनो अथवा विधिक उत्तराधिकारियों में से होगी तथा अन्य ट्रस्टियों की नियुक्ति ट्रस्टी बोर्ड के द्वारा की जायेगी।

13. ट्रस्ट विलेख में संशोधन – ट्रस्ट विलेख में संशोधन का अधिकार **अध्यक्ष/चैयरमैन अथवा** ट्रस्टी बोर्ड को ही होगा जो 3/4 बहुमत के आधार पर ट्रस्ट विलेख में संशोधन कर सकते है।

14. ट्रस्ट का विघटन – भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अर्न्तगत किया जायेगा।

15. इस विलेख में दर्शायी एवं सहित शक्तियों, प्रावधानों, करारनामों तथा घोषणाओं (ऐसे ट्रस्ट निधि के हस्तारंण के परिणाम स्वरूप एवं आवश्यक होने पर किये गये संशोधनों के अधीन) के साथ ट्रस्ट को किसी अन्य समिति, निगम, संस्थान, ट्रस्ट, संघ अथवा संगठन को अतरित करना एवं सौंपना, जैसा कि ट्रस्टियों को अपने स्वविवेक से उचित लगे इस विलेख के ट्रस्टी, ट्रस्ट निधि के अंतरण होने से ट्रस्ट से भार मुक्त/पदमुक्त हो जायेगें।

16. ट्रस्टी केवल उसी धन, स्टॉक, शेयर एवं कोषों के लिये उत्तरदायी होगें जो वास्तविक रूप से उनके हाथ में आयेंगें। एक ट्रस्टी किसी अन्य ट्रस्टी, बैंकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिसके पास ट्रस्ट में सम्पत्तियां अथवा प्रतिभूतियां जमा की हो या रखी हो, की गलती, कार्य या हीनता या कमी या त्रुटि के लिये उत्तरदायी या जवाबदार नहीं ठहराये जायेगें।

17. ट्रस्टियों की संख्या दो से कम नहीं होगी यदि कभी ट्रस्टियों की संख्या 2 से कम हो जाती है तो शेष ट्रस्टी (सिवाय किसी रिक्त को भरने के) तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक की संख्या न्यूनतम से कम है।

18. वर्तमान प्रंबध ट्रस्टियों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त संख्या की सीमा में रहतें हुये एक अवधि के लिये अतिरिक्त ट्रस्टियों को सेवानिवृत्ति अथवा पुनःनियुक्ति की शर्तों का ध्यान में रखते हुये नियुक्त कर सकें जैसा कि वह इस सम्बन्ध में उचित समझे।

19. ट्रस्टी समय समय पर ट्रस्टियों की बैठकों के नियमन व संचालन के लिये नियम बना सकते है ऐसे नियमन न होने पर :–

Vandna

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

आवेदन सं०: 202400778014600

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 41 वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री जितेन्द्र यादव, पुत्र श्री विजय सिंह यादव

निवासी: नि0 बबराला पर0 असदपुर तह0 गुन्नौर जिला संभल

व्यवसाय: कृषि

न्यासी: 2

श्रीमती प्रबन्धक वंदना कुमारी, पत्नी श्री जितेन्द्र यादव

निवासी: नि0 बबराला पर0 असदपुर तह0 गुन्नौर जिला संभल

व्यवसाय: गृहिणी

न्यासी: 3

श्री कोषाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार, पुत्र श्री विजय सिंह यादव

निवासी: नि0 बबराला पर0 असदपुर तह0 गुन्नौर जिला संभल

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री अनुराग कुमार यादव , पुत्र श्री श्यौदान सिंह

निवासी: नि0 बबराला पर0 असदपुर तह0 गुन्नौर जिला संभल

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री विजय सिंह , पुत्र श्री भूप सिंह

निवासी: नि0 बदायूं रोड बबराला पर0 असदपुर तह0 गुन्नौर जिला संभल

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

नरेन्द्र सिंह
उप निबंधक : गुन्नौर
सम्भल
13/09/2024

राजवीर सिंह
निबंधक लिपिक सम्भल
13/09/2024

प्रिंट करें

1. ट्रस्टियों की एक बैठक में तीन ट्रस्टियों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) मानी जायेगी।
2. ट्रस्टियों द्वारा सभी विषय आपसी विचार विमर्श से निपटाये जायेगे।
3. बिना बैठक किये सर्कुलेशन से पारित संकल्प को ट्रस्टियों की वास्तविक बैठक की तरह ही वैद्य और प्रभावी माना जायेगा। यदि (3/4) ट्रस्टी लिखित रूप में देतें हैं।

20. ट्रस्टी को संशय की स्थिति में यह निर्धारण करने का अधिकार होगा कि परमार्थ के लिए किसी धन या संपत्ति को पूंजी या आय माना जाये कि नहीं और ऐसी आय में से कोई व्यय चुकाया ही जाये या नहीं, और ऐसा निर्धारण बाध्यकारी एवं अंतिम निर्णय होगा। ट्रस्टियों को इस विलेख में प्राधिकृत किये गये उद्देश्यों के अलावा अन्य कही भी ट्रस्ट–निधि या उसके संचय को खर्च करने का अधिकार नहीं होगा।
21. ट्रस्ट में अस्थाई सदस्यों की नियुक्ति कम से कम एक वर्ष व अधिकतम पाँच वर्ष तक होगी।
22. ट्रस्ट एवं ट्रस्ट निधि हमेशा के लिये अखण्डनीय रहेगें।
23. यहाँ यह स्पष्ट घोषणा की जाती है कि ट्रस्ट की सम्पत्ति अथवा उसकी आय या उसमें हुयी बढ़ोत्तरी के किसी भी अंश को ऐसे किसी भी उद्देश्ये के लिये इस्तेमाल नहीं किया जायेगा जो कानून के अनुसार परमार्थिक या धार्मिक उद्देश्य नहीं है।
24. ट्रस्ट के प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के न होने पर प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष के समस्त अधिकार अध्यक्ष **श्री जितेन्द्र यादव पुत्र श्री विजय सिंह यादव निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल** को स्वतः ही प्राप्त होगें।

नोट – ट्रस्ट के पास **अंकन– 10,000/– (रु0 दस हजार मात्र)** की सम्पत्ति है इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई चल अचल सम्पत्ति आज की तिथि तक नहीं है। **फोटो प्रमाणित श्री अनुराग कुमार यादव एडवोकेट तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल द्वारा किये गये हैं।**

अतः यह न्यास विलेख आज दिनाँक **13.09.2024** को लिख दिया गया है ताकि सनद प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

गवाह 1– **श्री अनुराग कुमार यादव पुत्र श्री श्यौदान सिंह निवासी बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल।**

गवाह 2– श्री विजय सिंह पुत्र श्री भूपसिंह निवासी बदायूँ रोड बबराला तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल।

दिनाँकः– 13/09/2024

ट्रस्ट लेखक

श्री अनुराग कुमार यादव एडवोकेट
तहसील गुन्नौर जिला सम्भल।
मोबाइल नं0 9759040101

प्रबन्धक
एस0 आर0 कान्वेंट स्कूल
इस्लामनगर (बदायूँ)

Principal
S.R.Convent School
Islamnagar (Badaun)

आवेदन सं०: 202400778014600

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 24 के पृष्ठ 301 से 312 तक क्रमांक 41 पर दिनाँक 13/09/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नारेन्द्र सिंह .
उप निबंधक : गुन्नौर
सम्भल
13/09/2024